धर्माराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 054 / 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थीगणः—

1. धर्माराम पुत्र बालूराम
2. पेमाराम पुत्र बालूराम
   जाति जाट निवासीयान ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. पदमाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
2. बाबूलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम कूणी तहसील नावां।
3. प्रभुदयाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
4. गणेशराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
5. नानगराम पुत्र रामकरण जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
6. निर्मलादेवी पुत्री रामकरण जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
7. पप्पूराम पुत्र रामकरण जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
8. बुधाराम पुत्र खेमाराम जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
9. बिमलादेवी पुत्री रामकरण जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
10. मूलचन्द पुत्र रामकरण जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
11. रामेश्वरलाल पुत्र रामकरण जाति भांभी निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
12. श्रवणीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति रेगर निवासी गुढासाल्ट तहसील नावां।
13. हज्जन बिलकिस पत्नि सलाउदीन पुत्री चिरागुदीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम नानजी का बाग, मोतीडूंगरी रोड जयपुर जिला जयुपर राजस्थान।
14. जम्मा खा पुत्र कल्लू खा जाति कसाई निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
15. मुन्ना खा पुत्र कल्लू खां जाति कसाई निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
16. लाल मौहम्मद पुत्र कल्लू खां जाति कसाई निवासी ग्राम बनगढ़ तहसील नावां।
17. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा फुलेरा।
18. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा गुढासाल्ट तहसील नावां।
19. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :— श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 8, 11, 14, 15

मुकदमा नम्बरः— 054 / 2023 निर्णय दिनांक : 30.10.2023

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:09:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम गुढ़ासाल्ट तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 606 रकबा 3.05 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि चली आ रही है। प्रार्थीगण को अपने

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खेत ग्राम गुढ़ासाल्ट के खसरा नम्बर 606 रकवा 3.05 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बनगढ़ के खसरा नम्बर 739 रकवा 1.46 हैक्टर में से पूर्वी सीव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण तक 148 मीटर लम्बाई व पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में व खसरा नम्बर 740 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी कुट में उत्तर से दक्षिण 6 मीटर लम्बाई व पूर्व से पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में एवं खसरा नम्बर 741 रकवा 3.70 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पश्चिमी कुट से शुरू होकर दक्षिण दिशा में 134 मीटर लम्बाई में तथा पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में रास्ता चाहा है। चाहे गये रास्ते का अंकन सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण में रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग करने में पूर्णतया वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता खसरा नम्बर 739 से शुरू होता है। खसरा नम्बर 739 के उत्तरी पूर्व पश्चिम डामर सडक चली आ रही है। उक्त प्रार्थीगण को उक्त डामर सडक से ही रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गुढ़ासाल्ट के खसरा नम्बर 606 रकबा 3.05 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बनगढ़ के खसरा नम्बर 739 रकबा 1.46 हैक्टर में से पूर्वी सीव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण तक 148 मीटर लम्बाई व पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में व खसरा नम्बर 740 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी कुट में उत्तर से दक्षिण 6 मीटर लम्बाई व पूर्व से पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में एवं खसरा नम्बर 741 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पश्चिमी कुट से शुरू होकर दक्षिण दिशा में 134 मीटर लम्बाई में तथा पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई कुल क्षैत्रफल 1728 वर्गमीटर अर्थात् 0.1728 हैक्टर भूमि का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित किया गया है जिसकी अनुसार रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक लूणवां से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 13, 17 के जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। भू.अ. निरीक्षक लूणवां ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के ग्राम गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 606 में आने जाने हेतु प्रस्तावित चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की नितांत आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा निर्धारित नवीन प्रपत्र में तैयार कर दी गई है। मौका स्थिति का नजरी नक्शा भी पृथक से तैयार कर सलंग्न है। चाहे गये प्रस्तावित रास्ते के रकबे में मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण, पेड़ स्थित नहीं है। कुआं, बोरवेल इत्यादि भी स्थित नहीं है। प्रस्तावित चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 739 की पूर्वी सीमा के सहारे 148X6 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 470 के उत्तरी पूर्वी कोने में 6X6 वर्गमीटर तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 741 की पश्चिमी सीमा के सहारे 134X6 वर्गमीटर अर्थात् क्रमशः 888+36+804 कुल 1728 वर्गमीटर क्षैत्रफल बनता है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित भूमि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि के संबंध में वर्तमान में किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के कुल रकबे की कीमत हेतु डीएलसी दर उपपंजीयक नावां से संबंधित है। रास्ता ग्रामीण कच्चे रास्ते पर स्थित है।

अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 8, 11, 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणराम ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गुढ़ासाल्ट के खसरा नम्बर 606 रकवा 3. 05 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए उत्तरदातागण 5 ता 16 की भूमि ग्राम बनगढ़ के खसरा नम्बर 739 रकबा 1.46 हैक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण तक 148 मीटर लम्बाई व पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में व खसरा नम्बर 740 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी कुट में उत्तर से दक्षिण 6 मीटर लम्बाई व पूर्व से पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में एवं खसरा नम्बर 741 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पश्चिमी कुट से शुरू होकर दक्षिणी दिशा में 134 मीटर लम्बाई में व पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में रास्ता चाहा गया है जो सही होने से स्वीकार है। उपरोक्त अनुवान प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है तो उत्तरदातागण को किसी भी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नहीं है उत्तरदातागण की पूर्ण सहमति है। उत्तरदातागण 1, 3, 4 प्रार्थीगण के सहखातेदार है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में रास्ते लेते है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम पूर्ण रूप से सहमत है। रास्ता बाबत हमारी पूर्ण सहमति है। उत्तरदातागण/अप्रार्थी संख्या 8 ,11 रास्ता भूमि देने के लिये पूर्ण रूप से सहमत है। नियमानुसार मुआजवा राशि दी जाकर रास्ता दिया जाता है तो इसमें अप्रार्थी संख्या 8 व 11 को कोई उज्र ऐतराज नहीं है। उत्तरदातागण/अप्रार्थी संख्या 14, 15 रास्ता भूमि देने के लिए पूर्णरूप से सहमत है। हमारी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है हमें किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं लेना चाहते है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी भूमि ग्राम गुढ़ासाल्ट के खसरा नम्बर 606 रकबा 3.05 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बनगढ़ के खसरा नम्बर 739 रकबा 1.46 हैक्टर में से पूर्वी सीव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण तक 148 मीटर लम्बाई व पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में व खसरा नम्बर 740 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी कुट में उत्तर से दक्षिण 6 मीटर लम्बाई व पूर्व से पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई में एवं खसरा नम्बर 741 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पश्चिमी कुट से शुरू होकर दक्षिण दिशा में 134 मीटर लम्बाई में तथा पूर्व पश्चिम 6 मीटर चौड़ाई कुल क्षैत्रफल 1728 वर्गमीटर अर्थात् 0. 1728 हैक्टर भूमि का रास्ता चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 8, 11, 14, 15 ने इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते को मौका रिपोर्ट में अंकित अनुसार दिये जाने हेतु सहमति दी हैं तथा अप्रार्थी संख्या 14, 15 अपनी भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा चाहे रास्ते के एवज में किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं चाहते है एवं अप्रार्थी संख्या 8, 11 अपनी भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के एवज में नियमानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि के अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट में अंकित अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 को उनके हक हिस्से की भूमि में से चाहे गये प्रस्तावित रास्ते के एवज में नियमानुसार दोगुनी डीएलसी दर की राशि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गुढ़ासाल्ट तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकवा 1.21 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम बनगढ़ के खसरा नम्बर 739 रकबा 1.46 हैक्टर भूमि में से पूर्वी सींव के सहारे सहारे 148 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई एवं खसरा नम्बर 740 रकवा 0.75 हैक्टर भूमि में से उत्तरी पूर्वी कोने में 6 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई एवं खसरा नम्बर 741 रकवा 3.70 हैक्टर भूमि में से पश्चिमी सींव के सहारे सहारे 134 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 1728 वर्गमीटर अर्थात 0.1728 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 को उनके हक हिस्से की भूमि की नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करें एवं उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 को उनके हक हिस्से अनुसार अदा करें। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। संबंधित खातेदारों का संबंधित बैंक में रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
**उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested